न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 08/22 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2022/91

उनवान

1. सुब्बा पुत्र मुंशी जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. नवाब पुत्र रूस्तम
2. साहबू पुत्र रूस्तम
3. खुर्शीद पुत्र मुंशी

} जाति मेव निवासी ग्राम चिनावडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

4. तहसीलदार, तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, पहाडी दि0 06.05.2022 मि.नं. 64/15 उनवानी सुब्बा बनाम नवाब।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री प्रवीण चौधरी उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–02.01.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर, पहाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी किता 33 रकवा 4.83 है0 वाके ग्राम चिनावाडा तहसील पहाडी वादी व प्रतिवादी के पिता मुंशी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। मुंशी के तीन पुत्र रूस्तम, सुब्बा व खुर्शीद हुये। जिनमे से रूस्तम, मुंशी की जिन्दगी में

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

फौत हो गया। रूस्त के दो पुत्र नवाव व साहबू हुये, इस प्रकार मुंशी के देहान्त के पश्चात् उसकी समस्त आराजीयात पर सुब्बा 1/3 हिस्सा पर खुर्शीद 1/3 हिस्सा पर रूस्तम के दोनों लडके नवाव व साबू 1/3 हिस्से के विरासत खातेदार काश्तकार बने और सभी अपने हिस्से के मुताबिक मनवट के हिसाब से काश्त करते रहें सन् 2005 में वादी व प्रतिवादी के पिता मुंशी की समस्त आराजी के विभाजन हेतु एक दावा प्रतिवादी खुर्शीद द्वारा वादी मुंशी के अन्य हिस्सेदारो के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कॉमा के समक्ष पेश हुआ जो बाद में चलकर आपसी सहमति से पुराने मनवट के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुये डिक्री हुआ। जिसमें खसरा नम्बर 147 की बाबत कुर्रे में दर्ज है कि खसरा नम्बर 147 नवाव व साहबू 1/3 हिस्से का हमीदी पत्नि जुम्मा के नाम वयनामा हो चुका है। परन्तु कब्जा आज भी अपीलाण्ट सुब्बा का है और तहसीलदार ने उक्त कुर्रेजात में खसरा नम्बर 147 पूरा रकवा वादी अपीलाण्ट के नाम दर्ज कर दिया। जिसमें प्रतिवादीगण रैस्पो0 के भी सहमति के हस्ताक्षर हैं। जिस पर हमीदी द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में दायर किया, जो हमीदी के पक्ष में डिक्री हुआ एवं विवादित आराजी खसरा नम्बर 147 का 1/3 हिस्सा विक्रय किये जाने पर हमीदी को दे दिया। इस प्रकार वादी अपीलाण्ट का रकवा कम हो गया। अतः विवादित आराजी का पुनः अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बॅटवारा करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहें। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। अपीलाण्ट तनकी संख्या 01 को अपने पक्ष में व विरूद्ध रैस्पो0 साबित करने में सफल रहा है। पत्रावली पर यह तथ्य बखूबी साबित है कि वाद ग्रस्त खसरा नम्बर 147 के सालिम रकवा पर वादी अपीलाण्ट का कब्जा है और इस तथ्य को स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में माना है। इसके अलावा वक्त विभाजन यह तथ्य कुर्रे जात रिर्पोट में आयी है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 147 का पूरा रकवा वादी अपीलाण्ट सुब्बा के हिस्से में दर्ज है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में विधिक त्रुटि

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकर की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि विवादित आराजी के संबंध में पूर्व में इन्हीं पक्षकारो के मध्य, अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का दावा चला, जो उभयपक्ष की सहमति/राजीनामा से दिनांक 28.06.2006 को डिक्री हुआ। वादी अपीलाण्ट को यदि उक्त निर्णय से कोई उज्र था, तो उन्हें पूर्ववर्ती वाद की अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। परन्तु उनके द्वारा ऐसा ना करते हुये, पुनः विवादित आराजी बाबत् नवीन वाद प्रस्तुत करना, विधि अनुसार वर्जित है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 "पूर्व न्याय" में स्पष्ट अंकित है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सार, विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले, उन्हीं पक्षकारो के बीच के या ऐसे पक्षकारो के बीच, जिनसे व्युत्पन्न अधिकारो के अधीन वह या उनमें से कोई दावा करते हैं, व किसी पूर्ववर्ती वाद में न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा है, जो ऐसे पश्चात् वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है व पूर्व में विचारण करने में सक्षम था और न्यायालय द्वारा उसे सुना जाकर प्रकरण का अन्तिम रूप में विनिश्चित किया जा चुका है। इस प्रकार प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा लागू होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी पूर्व न्याय (RESJUDICATA) के बिन्दु, पर तनकीयात कायम कर पूर्व के प्रकरण के वादपत्र, जवाब दावा, विरचित विवाद्यक एवं न्यायालय के पूर्व निर्णय के तथ्य एवं विधि के मिश्रित बिन्दु, पर साक्ष्य आदि लेने के बाद ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2022 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 02.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02.01.2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर